उ करारी – केशाराम आदि प्र.क. 04/16

दिनांक	आज्ञा पत्र	
[illegible].7.24	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप... जानिब बहस दिनांक 23.7.24 को पेश हो। ... वकील के लिखित बहस पेश की जावे। [illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
22/7/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो। [illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट [illegible] की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [illegible] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 04/2016

1 सुबराती पुत्र वजीर आयु 74 साल निवासी वागडोदा तहसील फतेहपुर जिला सीकर हाल व्यापारत हरिजनों का मोहल्ला चुडी चतरपुरा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.

अपीलांट

बनाम

1 केशाराम पुत्र खडताराम (फोत)
1/1 छोटु उर्फ छोटी पत्नी केशाराम
1/2 सुरेन्द्र पुत्र स्व केशाराम
1/3 बाबुलाल पुत्र स्व. केशाराम
1/4 रविन्द्र पुत्र स्व केशाराम
1/5 विमला पुत्री स्व. केशराम
1/6 मंजु पुत्री स्व. केशाराम
समस्त जाति जाट निवासीगण अलफसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.।
2 लियाकत पुत्र करीम उर्फ कीमा
3 असगर पुत्र करीम उर्फ कीमा
4 अब्दुल हक्कानी पुत्र याकुब
5 मोहम्मद अली पुत्र याकुब
6 मोहम्मद इकवाल पुत्र याकुब
7 मोहम्मद सदाम पुत्र याकुब
8 मीरदीन पुत्र मन्नु
10 फतेह मोहम्मद पुत्र मन्नु समस्त जाति कसाई मुसलमान निवासीगण ग्राम अलफसर तहसील फतहेपुर जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

14 भूमिधारी जरिए तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटी एक्ट विरूद्ध
निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.1988 मु. नं. 12/1988
बउनवानी केशाराम बनाम कीमा पीठासीन अधिकारी
एसडीओ फतेहपुर श्री फसराज सुनार आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 5.8.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 12/1988 में पारित निर्णय दिनांक 29.01.1988 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट के दादा बक्सु के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 54/5 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम अलफसर से रेस्पोडेन्ट वादी संख्या 1 का कोई संबंध सरोकार न होते हुये भी एक मिथ्या दावा संख्या 12/88 पेश कर बक्सु के तीन पुत्रों में से एक के वारिसान को पक्षकार बनाकर उनकी फर्जी तामील करवा कर एक नुमायशी डिकी 12/88 से खसरा नम्बर 54/5 की खातेदारी अपने नाम करवा ली। इससे व्यथित होकर धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस देने का आश्वासन दिया था लेकिन लिखित बहस प्रस्तुत नहीं किये जाने पर अपील मेमो में दर्ज कथनों के आधार पर बहस अंकित की जा रही है। विवादित भूमि पुराना खसरा नम्बर 54/5 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम अलफर का एकमात्र खातेदार खुद काबिज काश्तकार बक्सु पुत्र अली कोम कसाई प्रथम जमाबंदी से लेकर सम्वत 2042 तक खातेदार बक्सु पुत्र अली कोम कसाई रहा था वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 या उनके पुर्वजों का कभी कोई संबंध सरोकार नहीं रहा तथा केशाराम या खडताराम भूमि खसरा नम्बर 54/5 के खातेदार या उपकृषक जमाबंदी सम्वत 2012 से 2019 तक लगातार खुद काश्त या उपकृषक दर्ज नहीं रहा था, विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 10 की या उनकी पूर्वजों की मिथ्या तामील करवा कर विचारण न्यायालय को साजशी तामीलो को सही होने का विश्वाास दिलाकर एवं मुगालता देकर कपट पूर्वक दावा संख्या 12/88 डिकी करवा लिया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 54/5 वाके अलफसर का एक मात्र खातेदार खुद काबिज काश्तकार बक्सु पुत्र अली कोम कसाई प्रथम जमाबंदी से लेकर सम्वत 2042 तक खातेदार बक्सु पुत्र अली कोम कसाई रहा था वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

या उनके पुर्वज का कभी कोई संबंध सरोकर नही रहा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 या उनके पुर्वज भूमि खसरा नम्बर 54/5 के खातेदार या उपकृषक जमाबंदी सम्वत 2012 खुद काश्त या उपकृषक दर्ज नहीं रहा था इसलिए वे अपने पुर्वजो की फुटस्टेप पर धारा 15, 19, 88 आरटीएक्ट के तहत खातेदारी उदघोषित करवाने का वैध रूप से हकदार नहीं था, केशाराम व खड़ताराम ने अपने दावे के समर्थन में अधिकार अभिलेख के रूप में प्रथम जमाबंदी या खसरा गिरदावरी की कोई प्रति पेश नहीं की तथा वादी केशाराम व खडताराम सम्वत 2012 का अधिकार अभिलेख जमाबंदी या कब्जे बाबत सम्वत 2012 से 2019 तक ही खसरा गिरदावरी पेश नहीं की जिससे उन्हे धारा 15 या 19 अथवा 88 आरटीएक्ट में खातेदार उद्घोषित किया जा सके विचारण न्यायालय द्वारा दावा संख्या 12/88 में दिनांक 29.01.88 को डिकी कल्पना एवं कयास के आधार पर आरटीएक्ट के प्रावधानों से विपरित जाकर डिकी पारित किये जाने से निर्णय व डिकी 29.01.88 निरस्तनीय है। वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वाद संख्या 12/88 के समर्थन में जो दस्तावेज प्रदर्शित करवाये उन दस्तावेजों से वादी का विवादित भूमि खसरा नम्बर 54/5 पर सम्वत 2012 से 2042 तक दावा दायरी तक लगातार कब्जा नहीं माना जा सकता वादी केशाराम द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज रिकार्ड ऑफ राईट की संज्ञा में नहीं आते पेशशुदा दस्तावेज लगान रसीद की फॉटो प्रति सम्वत 2068 से 2077 की फोटो प्रति है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1860 तहत प्राथमिक एवं द्वितीय साक्ष्य की श्रेणी में नहीं आती तथा फोटो प्रति साक्ष्य में ग्राहय भी नहीं होती है। लगान रसीद पर खसरा नम्बर अंकित नहीं है वादी ने ढाल बांछ भी पेश नहीं की है। जिससे यह प्रमाणित हो सके की लगान वादी ने चुकाया है। वादी द्वारा पेश दस्तावेज प्रत्यक्ष संदिग्धता युक्त होने से निर्णय व डिकी दिनांक 29.01.88 निरस्तनीय है। जानकारी अंदर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि सुवराती नाम व्यक्ति ने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होते हुए इस न्यायालय के समक्ष यह अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.88 के विरूद्ध अर्सा करीब 28 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय की पत्रावली का अधिकांश पार्ट निश्चित परिसीमा अवधि के पश्चात नष्ट किया जा चुका है तथा अपील प्रस्तुतकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था जिसने इस न्यायालय की इजाजत के बिना यह अपील प्रस्तुत की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि तृतीय पक्षकर/अजनबी धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किये बिना अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए अपील विधिक प्रावधानों के तहत नहीं होने के कारण खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। अपीलांट ने 28 वर्ष के असाधारण विलम्ब के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है जो कि सर्वथा मियाद बाहर है एवं अर्सा करीब 28 साल के विलम्ब का कोई समुचित कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन में अंकित नहीं है जिस कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के शपथ पत्र पर असाधारण विलम्ब को माफ किया जाने की अनुमति कानूनन प्रदान नहीं की जा सकती। अपीलांट बक्सु नाम व्यक्ति का उत्तराधिकारी नहीं है ना बक्सु का उत्तराधिकारी होने के संबंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज है एवं अपीलांट अथवा उकसे पूर्वजो का अपील मेमो में वर्णित कृषि भूमि में कोई संबंध अथवा सरोकार नहीं है उक्त कृषि भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के समय से ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जा में निरन्तर रही है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकारी प्राप्त थे उक्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा विचारण न्यायालय द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार करके चुनौतीग्रस्त डिक्री व निर्णय पारित किया है तथा खातेदारी अधिकारों की उद्घोषणा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत की गयी है जिसे चुनौती देने का अपीलांट को कानूनी अधिकारी प्राप्त नहीं है। अपीलांट ने अपील में रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संख्या 2 ता 10 या उनके पूर्वजों की मिथ्या तामील करवाने का गलत कथन किया है ना ही उक्त तथ्यों का कोई आधार है तथा अपील मेमों की मद संख्या 6 में यह अंकित किया है कि जो व्यक्ति दावे में पक्षकार नहीं होता वह डिक्री से आबद्ध कर नहीं होता। उक्त तथ्य अंकन करने से भी स्पष्ट है कि अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है जिस कारण उसे अपील प्रस्तुत करने का लोकस्टण्डाई नहीं है। जिस कारण अपील खारिज किया जाना प्रार्थनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2021 (1) पेज 19, आरआरडी 1993 पेज 232, डीएनजे 2015(2) पेज 657, आरआरटी 2011(1) पेज 614, आरआरटी 2011(2) पेज 851, आरआरटी 2021 (1) पेज 336, आरआरटी 2009–10(सप्ली.) पेज 535 एससी, डीएनजे 2007(3) राज. पेज 1340, आरएलडब्ल्यू 2017(1) रेव पेज 288 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सुबराती नाम व्यक्ति ने विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होते हुए इस न्यायालय के समक्ष यह अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.88 के विरूद्ध अर्सा करीब 28 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की है तथा अपील प्रस्तुतकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं था जिसने इस न्यायालय की इजाजत के बिना यह अपील प्रस्तुत की है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि तृतीय पक्षकर/अजनबी धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त किये बिना अपील प्रस्तुत नहीं कर सकता। इसलिए अपील विधिक प्रावधानों के तहत नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट ने 28 वर्ष के असाधारण विलम्ब के पश्चात यह अपील प्रस्तुत की है जो कि सर्वथा मियाद बाहर है एवं अर्सा करीब 28 साल के विलम्ब का कोई समुचित कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के आवेदन में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अंकित नहीं है जिस कारण धारा 5 परिसीमा अधिनियम के शपथ पत्र पर असाधारण विलम्ब को माफ किया जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट धारा 96 व धारा 5 के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर